भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3449
दिनांक 20 मार्च, 2025

महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करना

†3449. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों और मूल्य अस्थिरता से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) को किस प्रकार सुदृढ़ कर रही है;
(ख) कच्चे तेल और एलएनजी आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा सरकार किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ अधिक अनुकूल दीर्घकालिक अनुबंधों पर बातचीत करने की योजना बना रही है; और
(ग) सरकार किस प्रकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के साथ संतुलित करने की योजना बना रही है, ताकि आर्थिक विकास को बाधित किए बिना स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर सुचारु संक्रमण सुनिश्चित हो सके?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार ने एक विशेष प्रयोजनार्थ कम्पनी, इण्डियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के माध्यम से तीन स्थलों यथा, (i) विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), (ii) मंगलुरू (1.5 एमएमटी) और (iii) पादुर (2.5 एमएमटी) क्षमता के साथ 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल क्षमता वाले कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाओं की स्थापना की है।

एसपीआर क्षमता में अग्रेत्तर बढ़ोत्तरी करने के निमित्त जुलाई, 2021 में सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधार पर ओडिशा में चंडीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक में पादुर (2.5एमएमटी) में कुल 6.5 एमएमटी भंडारण क्षमता वाली 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक सुविधाओं की स्थापना को भी अनुमोदित किया था। सरकार और ओएमसीज, समय-समय पर तकनीकी और वाणिज्यिक व्यावहार्यता के आधार पर भंडारण क्षमता में बढ़ोत्तरी करने की संभावना का मूल्यांकन करती है। पेट्रोलियम का अतिरिक्त भंडार स्थापित करने के लिए नए स्थलों का आंकलन करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख): कच्चे तेल की आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक क्षेत्र से कच्चे तेल पर निर्भरता के जोखिम को कम करने के लिए, भारतीय तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) ने अपने कच्चे तेल की बास्केट को विविधीकृत किया है और विभिन्न भौगोलिक स्थानों जैसे मध्य पूर्व, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि में स्थित देशों से कच्चे तेल की अधिप्राप्ति कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और

यूएई को सोर्सिंग गंतव्यों के रूप में जोड़कर एलएनजी के आयात को पहले से ही विविधीकृत कर दिया है। भारत ने निर्बाध आपूर्ति और मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलएनजी की अधिप्राप्ति करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ग): जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से निपटने के लिए, सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के निमित्त देश भर में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करके माँग प्रतिस्थापन।
- एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपीडित जैव गैस, जैव डीजल, हरित हाइड्रोजन और ईवीएस जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना।
- रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार करना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना।
- विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास, आदि। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, वहनीय परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (सतत) पहल भी आरंभ किया गया है।
- देश भर में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के निमित्त, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम, जिसमें तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसीज) एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं, जैव डीजल मिश्रण कार्यक्रम जिसमें जैवडीजल को डीजल में मिश्रित किया जाता है, जैसे विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

***